बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०–भवन–03 / स्था०पदा०–02 / 2025.. / पटना, दिनांक...

–:: आदेश ::–

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–10483(भ) दिनांक–25.11.2025 द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ–5 में अंकित प्रशाखा में अगले आदेश तक निम्नरूपेण पदस्थापित करते हुये अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :–

क्र० सं०	कनीय विद्युत अभियंता का नाम एवं गृह जिला	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नम्बर	विभाग में योगदान की तिथि	पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
1.	श्री रंजन कुमार / जहानाबाद	10	02.02.2026	विद्युत भवन प्रशाखा संख्या–1, गया अतिरिक्त प्रभार विद्युत भवन प्रशाखा संख्या–2, गया।

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधिसम्मत कारवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय / विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कारवाई की जायेगी।

4. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय / विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात की स्व–अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय / विभाग द्वारा भुगतेय होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय / विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (विद्युत) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित कार्यालय / विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित / सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र / विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) की वेतनादि का भुगतान तबतक नहीं की जायेगी जब तक भवन निर्माण विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

कृ०पृ०उ०

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०–19 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार नव नियुक्त कनीय अभियंताओं (विद्युत) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

10. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

11. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

12. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का वेतन (कंडिका–1 के स्तम्भ–4 में वर्णित विभाग में योगदान की तिथि से) उनके पदस्थापन कार्यालय से भुगतान होगा।

13. संबंधित कनीय अभियंता से वेतन भुगतान के पूर्व आशय का शपथ–पत्र भी लिया जायेगा कि इनके द्वारा कंडिका–1 के स्तम्भ–4 में अंकित विभाग में योगदान की तिथि के बाद का वेतन अपने पूर्व के संविदा कार्यालय से नहीं लिया गया है।

ह०/–
(असीम कुमार)
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025................................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025................................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025................................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025................................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पंचायती राज विभाग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार/सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित), भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025................................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री रंजन कुमार, नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।

ज्ञापांक–भवन–03/स्था०पदा०–02/2025....2897 (अ)..../पटना, दिनांक– 24/3/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(signature) 20/3/26
अभियंता प्रमुख (विद्युत)।